न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 171/2020 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/168**
दायर दिनांक :– 04.12.2020 | **निर्णय दिनांक :– 11.03.2026**

01. जालमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

01. डूंगरसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत फौत के कायम मुकाम
1/1 दिलीपसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 भरतसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. रसालकंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. हनुमानसिंह पुत्र मलसिंह फौत के कामय मुकाम
4/1 लक्ष्मणसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4/2 अणछकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. खमाकंवर पत्नी अणदसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. सुमेरसिंह पुत्र अणदसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. हीरसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. गुमानसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
09. ओमकंवर पत्नी जालमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
11. प्रेमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लि. शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 250 रकबा 79.08 बीघा ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप की सरहद में स्थित है। जमाबंदी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन

Satya

पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 05.06.2017 को जारी आदेश कमांक संख्या 81 की पालना में दिनांक 16.06.2017 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द सीमाज्ञान तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पडोसी खातेदान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्ह कायम किये गये। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिप संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 16.06.2017 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टिया रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ोसी खातेदारान व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फस्ल, घास पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 16.06.2017 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/2 व 4/1 ता 4/2 तथा 5 ता 9, 11, 12 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकानलतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम टेकरा के खसरा नम्बर 250 रकबा 79–08 बीघा भूमि की प्रार्थी की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 16.06.2017 के अनुसार प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 79–08 बीघा सरहद मौजा टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी दिनांक 16.06.2017 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि खसरा नम्बर 250 रकबा 79–08 बीघा भूमि पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 250 रकबा 79–08 बीघा भूमि की पत्थरगढी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से जारी नक्शा पेश किया है। इसी तरमीम अनुसार ही पत्थरगढी की इस्तदुआ प्रार्थी ने चाही है लेकिन वर्तमान में खसरा नम्बर 250 व उसके बट्टा नम्बर की तरमीम पूर्व में जारी नक्शा लट्ठा से भिन्न हो चुकी है जो वर्तमान नक्शा से

Satyo..

प्रमाणित है। जब उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा ही नही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश करने प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त फर्द पटवारी हल्का ने मौके पर जाये बगैर ही अपने कार्यालय में बैठे–बैठे बनाई है। उक्त तरमीम अनुसार प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है तो कब्जे के अभाव में प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का हकदार नहीं है। अगर खातेदार की खातेदारी भूमि पर पड़ोसी खातेदार का कब्जा व काश्त होता है तो उस स्थिति में पहले खातेदार धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का वाद पेश करेगा। उक्त वाद के निस्तारण के बाद ही व खातेदारी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का हकदार होगा। वर्तमान जमाबंदी व नक्शा अनुसार प्राथी का हक हिस्सा ही नही है तो प्रार्थी को किसी प्रकार से उक्त भूमि को लेकर नुकसान नहीं हो रहा है और न ही प्रार्थी उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी व नक्शा अनुसार पत्थगगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टेकरा पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 250 रकबा 79.08 बीघा स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए वादग्रस्त भूमि की मुरतकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम टेकरा पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 250 रकबा 79.08 बीघा भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/– प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)